

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी-नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग-03

देहरादून, दिनांक २० फरवरी, 2024

विषय :- दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों, उनके सेवायोजकों तथा स्वरोजगार में रत् दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के अन्तर्गत प्रदान की जा रही राशि में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3497/स0क0/04-296 (समाज कल्याण)/2003 दिनांक 17.02.2004 के प्राविधानानुसार उत्तराखण्ड राज्य में दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों, उनके सेवायोजकों, स्वतः रोजगार में रत् दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के रूप में ₹5000/-की धनराशि प्रदान की जाती है।

2. इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त वर्णित शासनादेश संख्या-3497/स0क0/04-296 (समाज कल्याण)/2003 दिनांक 17.02.2004 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य में दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों एवं स्वतः रोजगार में रत् दिव्यांग व्यक्तियों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के अन्तर्गत पूर्व प्रदत्त पुरस्कार राशि ₹5000/- में वृद्धि कर उक्त राशि को ₹8000/- किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. शासनादेश संख्या-3497/स0क0/04-296 (समाज कल्याण)/2003 दिनांक 17.02.2004 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा उक्त के अन्य प्राविधान/शर्तें यथावत् लागू रहेंगे।

4. यह आदेश वित्त अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन के कम्प्यूटर जनित ई0 संख्या:-I/183427/2024 दिनांक 18.01.2024 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

बृजेश कुमार संत
Sant सचिव
Date: 09-02-2024 17:17:29

संख्या-०४ / XVII-A-3 / 2024-296(स0क0)2003 (46590), तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल मण्डल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, दिव्यांगजन उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव-मा0 मंत्री जी, समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि उक्त संशोधन का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाय।
7. उप सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-04, उत्तराखण्ड शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र)
अपर सचिव।